

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 126/भू अ०

दिनांक : 11/8/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-झुण्डी, थाना-मधुपुर, थाना सं०-92, अंचल:-देवीपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना चांदडीह-तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-झुण्डी, थाना-मधुपुर, थाना सं०-92, अंचल-देवीपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.76 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	13	1195	रैयती	बाड़ी-2	0.14	सुखु मराण्डी वो नूनलाल मराण्डी वो चुनु मराण्डी पे० स्व० मंगल मराण्डी वो रसीलाल मराण्डी वो गोविन्द मराण्डी पे० स्व० बुधु मराण्डी वो समलाल मराण्डी पे० स्व० छोटा प्रधान मराण्डी वो नितेश मराण्डी वो पवन मराण्डी पे० स्व० सुनील मराण्डी वो रावन मराण्डी वो विरेन्द्र मराण्डी वो मोहन मराण्डी पे० स्व० ठाकुर मराण्डी वो जुगल मराण्डी वो बुधन मराण्डी वो चरकु मराण्डी पे० स्व० मंझिला मराण्डी वो सनीलाल मराण्डी पे० स्व० मुंसी मराण्डी वो मनोज मराण्डी वो विकास मराण्डी पे० स्व० मोतिलाल मराण्डी वो बुधन मराण्डी पे० स्व० जुर्गरा मराण्डी अंश समान सा० देह।	अर्जित रकवा का अंश	अर्जित रकवा का अंश	मौजा मंझिला डीह	जोड़िया (नाल 1)
2	13	1194	रैयती	बाड़ी-2	0.07	तथैव।				
3	13	1204	रैयती	बाड़ी-2	0.18	तथैव।				
4	13	1320	रैयती	बाड़ी-2	0.12	तथैव।				
5	13	1346	रैयती	बाड़ी-2	0.12	तथैव।				
6	13	1334	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।				
7	17	1200	रैयती	बाड़ी-2	0.05	लिखलाल मराण्डी पे० स्व० लगन मराण्डी वो हपन मराण्डी पे० स्व० सुमरा मराण्डी वो जीवन मुर्मू वो सुशील मुर्मू माता स्व० सुकरमनी मराण्डी वो गणेश सोरेन माता रूसोमनी मराण्डी वो वोकिल मराण्डी वो मुंशी मराण्डी पे० स्व० मारु मराण्डी वो चन्दन मराण्डी पे० स्व० छोटे मराण्डी वो बुधु मराण्डी वो				

Yadav
08-02-2019

3

						मोतीलाल मराण्डी पे० स्व० नुनका मराण्डी वो संतोष मराण्डी वो मुंशी मराण्डी पे० स्व० कुनो मराण्डी वो दुर्गा मराण्डी वो केला मराण्डी पे० स्व० सोनालाल मराण्डी वो सोमलाल मराण्डी वो विशु मराण्डी पे० स्व० छोटा मराण्डी वो देवा मराण्डी वो राधे मराण्डी पे० स्व० जटा मराण्डी वो बडका मराण्डी पे० स्व० बुधु मराण्डी वो नुनवा मराण्डी वो चन्दन मराण्डी पे० स्व० लाल मराण्डी वो छका मराण्डी पे० स्व० बडका मराण्डी वो सीवा मराण्डी वो मदन मराण्डी वो हपन मराण्डी पे० स्व० राम मराण्डी वो शंभु मराण्डी पे० स्व० झण्डी मराण्डी वो कालो मराण्डी पे० स्व० भुखल मराण्डी वो शिवलाल मराण्डी वो विनोद मराण्डी पे० स्व० वजून मराण्डी अंश समान सा० देह।
8	17	1214	रैयती	बाड़ी-2	0.14	तथैव।
9	17	1213	रैयती	बाड़ी-2	0.24	तथैव।
10	19	1322	रैयती	बाड़ी-2	0.17	प्रसादी ठाकुर वो कार्तिक ठाकुर माता स्व० परमेश्वरी देवीवो सुमंती देवी वो लालवती देवी वो निरा देवी वो सोचो देवी वो बीजी देवी पे० स्व० झारू नापित वो वोकिल ठाकुर पे० स्व० बेनी नापित वो मदन ठाकुर पे० स्व० नथ नापित वो बजरंग ठाकुर वो चन्द्रदीप ठाकुर पे० स्व० कोका नापित वो गुरुचरण ठाकुर पे० स्व० मिठू नापित वो महादेव ठाकुर पे० स्व० लालजी नापित वो गुलटन ठाकुर पे० स्व० सदकी ठाकुर वो नरेश ठाकुर वो सुबोध ठाकुर वो उत्तम ठाकुर वो शिवदत ठाकुर पे० स्व० बैजू ठाकुर वो कटी ठाकुर पे० स्व० पांचु नापित। अंश समान सा० देह।
11	19	1319	रैयती	मकान	0.03	तथैव।
12	19	1340	रैयती	धानी-3	0.05	तथैव।
13	19	1340	रैयती	धानी-3	0.05	तथैव।
14	19	1342	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।
15	19	1345	रैयती	बाड़ी-2	0.13	तथैव।
16	23	1190	रैयती	बाड़ी-2	0.03	बुधन किस्कू पे० स्व० बडका किस्कू वो रूपलाल किस्कू वो कटीलाल किस्कू पे० स्व० खाखु किस्कू वो योगेन्द्र किस्कू वो सूरज किस्कू पे० स्व० सोखन किस्कू अंश समान सा० देह।
17	33	1332	रैयती	धानी-3	0.13	गोपाल मराण्डी वो रूपन मराण्डी पे० स्व० सोनालाल मराण्डी वो वरीस मराण्डी वो जीतन मराण्डी पे० स्व०

					पैका मराण्डी वो रसका मराण्डी वो कारू मराण्डी पे० स्व० नन्हु मराण्डी वो नूनका मराण्डी वो छत्रधारी मराण्डी पे० स्व० कपूरा बेसरा अंश समान सा० देह।				
					कुल रकवा- 1.76				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

अर्जन
कार्य

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
8/2/19

अपर समाहर्ता
देवघर
08-02-2019

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक / भू अ०, देवघर, दिनांक 11/2/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय।

अर्जन
कार्य

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
8/2/19

अपर समाहर्ता
देवघर
08-02-2019

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।